सप्तदश माला, खंड 19, अंक 2 **मंगलवार, 19 जुलाई, 2022**
28 आषाढ़, 1944 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र
(सत्रहवीं लोक सभा)

(खंड 19 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

कीर्ति यादव
संयुक्त निदेशक

© 2022 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence) **आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 19, नौवां सत्र, 2022 / 1944 (शक)
अंक 2, मंगलवार, 19 जुलाई, 2022 / 28 आषाढ़, 1944, (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 21 और 22	10-16
प्रश्नों के लिखित उत्तर	17
तारांकित प्रश्न संख्या 23 से 40	
अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 460	

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 18-31

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति
20वां और 21वांप्रतिवेदन 32

आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति
13वां प्रतिवेदन 33

शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति
341वां प्रतिवेदन 33

कार्य मंत्रणा समिति
34वां प्रतिवेदन 34

नियम 377 के अधीन मामले 35-57

(एक) उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तिलहर रेलवे स्टेशन पर विभिन्न रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने और स्टेशन पर रेल सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता
श्री अरुण कुमार सागर 35-36

(दो) उत्तर प्रदेश गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्यात संवर्धन हेतु पैकेजिंग हाउस या एक कार्यालय स्थापित किए जाने के बारे में
श्री रवि किशन 37

(तीन) राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गांव चोहिलांवाली में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में ग्राहकों द्वारा जमा किये गये धन के कथित गबन के बारे में
श्री निहाल चन्द चौहान 38

(चार) उत्तर प्रदेश के फर्रूखाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मल-जल शोधन संयंत्रों का निर्माण किए जाने के बारे में

श्री मुकेश राजपूत 39

(पाँच) दिल्ली में सरकारी विद्यालयों की स्थिति के बारे में

श्री मनोज तिवारी 40

(छह) प्रस्तावित जूनागढ़ - नबरंगपुर रेल लाइन का विस्तार ओडिशा के धरमगढ़ तक किए जाने की आवश्यकता

श्री बसंत कुमार पांडा 41

(सात) महाराष्ट्र के भन्डारा-गोंदिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील बाबूराव मेंढे 42

(आठ) दिल्ली-नागपुर औद्योगिक गलियारा मार्ग के बारे में

डॉ. ढाल सिंह बिसेन 43

(नौ) मध्य प्रदेश के रतलाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में गाँवों का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता

ई. गुमान सिंह दामोर 44

(दस) हडपसर रेलवे स्टेशन के विकास के बारे में

श्री गिरीश भालचंद्र बापट 45

(ग्यारह) यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों की स्थिति के बारे में

डॉ. शशि थरूर 46

(बारह) एल.जी.बी.टी.क्यू.आई.ए. समुदाय के सदस्यों के प्रति कथित भेदभाव के बारे में

डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन 47-48

(तेरह) ट्रेन सेवाओं और किराए में छूट को वापस लिए जाने के बारे में

श्री डी.एम. कथीर आनन्द 49

(चौदह) राज्यों की जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति का विस्तार किए जाने के बारे में

प्रो. सौगत राय 50

(पंद्रह) महाराष्ट्र में शहरी स्थानीय निकायों हेतु कार्यनिष्पादन अनुदान जारी किए जाने के बारे में

श्री विनायक भाऊराव राऊत 51

(सोलह) बिहार के कटिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण प्रबंधन संस्थान की स्थापना किए जाने के बारे में

श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी 52

(सत्रह) प्रधान मंत्री मित्र योजना के अंतर्गत राज्यों के चयन के बारे में

श्री चंद्रशेखर साहू 53

(अठारह) जातिगत जनगणना के बारे में

श्री श्याम सिंह यादव 54

(उन्नीस) फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में सुधार के बारे में

श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी 55

(बीस) अग्निपथ योजना के बारे में

एडवोकेट ए. एम. आरिफ़ 56

(इक्कीस) विदेश से पढ़कर आए मेडिकल छात्रों का राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकरण किए जाने के बारे में

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन 57

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्री उत्पल कुमार सिंह

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

मंगलवार, 19 जुलाई, 2022 / 28 आषाढ़, 1944 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

[1]प्रश्नों के मौखिक उत्तर

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : बैठ जाइये।

… (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11. 01 बजे

इस समय, श्री गौरव गोगोई, डॉ. सौगत राय, डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 21, श्री के. जी. माधव जी।

… (व्यवधान)

(प्रश्न संख्या 21)

[अनुवाद]

श्री कुरुवा गोरांतला माधव: महोदय, मेरे प्रश्न के लिखित उत्तर में, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वर्ष 2018-19 के दौरान देश के कुल जोत क्षेत्र में काश्तकारों के जोत क्षेत्र की हिस्सेदारी 17.3 प्रतिशत थी... (*व्यवधान*)

---

[1] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

इस संबंध में, मेरा पहला अनुपूरक है। काश्तकार प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हैं क्योंकि भूमि मालिकों को किराया न देने के कारण उन्हें बेदखल किया जा सकता है। … (*व्यवधान*)

इसलिए, पीएम फसल बीमा योजना के अन्तर्गत ऐसे अधिक से अधिक काश्तकारों को बीमा नेटवर्क के दायरे में लाए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

[हिन्दी]

श्री कैलाश चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने फसल बीमा और टेनेंट फार्मर्स के संबंध में प्रश्न किया है ।... (व्यवधान) सरकार की ओर से यह विशेष योजना है कि फसल बीमा योजना के अंदर उनको इन्क्लूड किया गया है ।... (व्यवधान) प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की जब से सरकार बनी, तब से यह विजन है कि किसानों को उनकी फसल के लिए अच्छी सीड मिले, फर्टिलाइजर मिले, उनको इंश्योरेंस मिले और उन किसानों को लोन भी मिले । इस दृष्टि से, चाहे वे टेनेंटेड किसान हों या अन्य किसान हों, सभी किसानों को इस योजना के अंदर जोड़ा गया है ।... (व्यवधान) विशेषकर जो फसल बीमा की बात कही गई, तो इसके अंदर ऐसे किसान जो जमीन को बटाई पर लेते हैं, उन किसानों के लिए जो टेनेंट फार्मर्स हैं, अगर वे फसल बीमा योजना के अंदर जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप के अंदर आते हैं, तो उन किसानों को भी फसल बीमा योजना का लाभ मिलता है ।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कुरुवा गोरांतला माधव: महोदय, 'मुझे अपना दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए। वर्ष 2016 में, नीति आयोग एक मॉडल कृषि भूमि पट्टा कानून संबंधी एक विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन लाया था। उन्होंने भूमि को पट्टे पर दिए जाने को वैध बनाने, उसका रिकार्ड रखे जाने, किराए के संबंध में विनियमन आदि के संबंध में विभिन्न सुधारों के सुझाव भी दिए हैं। (*व्यवधान*)

इन सुझावों को लागू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री कैलाश चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2016 में भारत सरकार एक मॉडल एक्ट लाई थी। उस मॉडल एक्ट के अंदर जो टेनेंसी एक्ट था, उस एक्ट को सभी राज्यों के अंदर सर्कुलेट किया गया और कुछ राज्यों ने उसे एडॉप्ट भी किया है।

कृषि राज्य का विषय होता है, इसके लिए उनको कैसे सपोर्ट देना है, किसानों को कैसे सुरक्षा मिले, … (व्यवधान) इसके साथ ही उनके पट्टे को वैध कैसे माना जाए, इस दृष्टि से मॉडल एक्ट प्रस्तुत किया है। उसके अंदर कुछ राज्य जैसे आंध्र प्रदेश है, उन्होंने अपना एक्ट बनाया है, राजस्थान ने भी कृषि के लिए अपना एक्ट बनाया है,… (व्यवधान) ऐसे ही उत्तर प्रदेश ने भी अपना एक्ट बनाया है। इस नाते मुझे लगता है कि किसानों को संरक्षण देने के लिए, ऐसे किसान जिनके साथ अन्याय होता है, उन किसानों को न्याय मिले, … (व्यवधान) इसके लिए यह एक एक्ट है। ... (व्यवधान) मॉडल एक्ट बनाकर राज्य सरकारों को दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष : श्री मद्दीला गुरुमूर्ति।

[अनुवाद]

श्री मद्दिला गुरुमूर्ति: माननीय अध्यक्ष महोदय, जमींदारों के साथ किए गए समझौते में पारदर्शिता के अभाव के कारण उन्हें नकद और अन्य प्रकार से अत्यधिक और अनुचित भुगतान करना पड़ता है। अधिकांश मामलों में यह उपज का 50 प्रतिशत होता है। … (*व्यवधान*) ज़मींदारों द्वारा किए जा रहे इस शोषण को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री कैलाश चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जैसा कहा कि ऐसे किसान जिनके फसल बोने के बाद उत्पीड़न होता है तो उनके लिए कानून बना हुआ है, वह कानून के अंदर आते हैं और कानून के दायरे में अगर वह जाते हैं तो निश्चित रूप से उनको संरक्षण मिलता है। उसके लिए जो भूमि स्वामी है, जब वह पहले एग्रीमेंट

करता है ... (व्यवधान) उस समय जो उसकी शर्तें हैं, उसके आधार पर अगर राज्य का एक्ट है और उसके अंदर वह न्याय मांगता है तो निश्चित रूप से न्यायालय के द्वारा ऐसे किसानों को संरक्षण भी मिलता है और न्याय भी मिलता है।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. संजय जायसवाल।

डॉ. संजय जायसवाल: अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है, बहुत सारे राज्यों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू नहीं किया है और उनकी अपनी योजनाएं हैं, … (व्यवधान) लेकिन उसका स्टैन्डर्ड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बराबर का नहीं है। क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों को बुलाकर या बैठक करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हर राज्य में लागू हो? क्या इसके बारे में सरकार कोई विचार कर रही है?

श्री कैलाश चौधरी: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने फसल बीमा योजना के बारे में प्रश्न किया है, वैसे जो नई फसल बीमा योजना बनी है, … (व्यवधान) इसे सभी राज्यों से राय लेकर ही बनाया गया था। ... (व्यवधान) अभी भी हमारे यहां पर मीटिंग हुई थी। ... (व्यवधान) जिसमें देश भर के सभी कृषि मंत्रियों की बेंगलुरू में मीटिंग हुई थी, इस विषय पर भी चर्चा हुई थी। उसमें कृषि मंत्रियों से आग्रह किया गया है कि आप फसल बीमा योजना को लागू करें। वैसे राज्य फसल बीमा योजना को लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन कुछ राज्य हैं, जैसे आंध्र प्रदेश पहले इस योजना से बाहर हो गया था, लेकिन अब एक साल बाद उन्होंने पुन: इसे एडॉप्ट किया है। इस तरह नई फसल बीमा योजना को लेकर राज्य सरकार से हम निश्चित रूप से संपर्क में हैं। उनसे इस बात पर चर्चा और मीटिंग होती है।

माननीय अध्यक्ष : श्री सी.एन. अन्नादुरई

श्री गजानन कीर्तिकर

श्री एस. एस. पलानीमणिक्कम

श्री मलूक नागर

(प्रश्न संख्या 22)

… (व्यवधान)

श्री मलूक नागर: अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के अंदर गन्ने का रेट बढ़ाने की बात आती है, सरकार ने इसे थोड़ा सा बढ़ाया है, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन देश में ऐसा कोई भी नहीं है, जहां गन्ने की पेमेंट रुकी हुई है और उस पर ब्याज नहीं मिलता है। ... (व्यवधान)

इसी से दूसरी जुड़ी हुई चीज के बारे में कह रहा हूं, मेरठ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे बागपत लोक सभा, मेरठ लोक सभा, मुजफ्फरनगर लोक सभा, सहारनपुर लोक सभा, बिजनौर लोक सभा, नगीना लोक सभा, गाजियाबाद लोक सभा, अमरोहा लोक सभा, मेरठ में आर एंड डी रिसर्च के लिए कोई इंस्टीट्यूशन खोलने की प्लानिंग है या नहीं?… (व्यवधान)

श्री पशुपति कुमार पारस: इस पर विचार किया जाएगा।... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती चिंता अनुराधा: हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान, तंजावुर में गैर-ऊष्मीय प्रसंस्करण संबंधी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया जिसकी लागत 10 करोड़ रुपये है तथा जिसका उद्देश्य अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा के वैश्विक मानकों को हासिल करना है। … (*व्यवधान*) क्या सरकार का प्रस्ताव आंध्र प्रदेश राज्य में ऐसे किसी केंद्र को स्थापित करने का है? … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री पशुपति कुमार पारस: महोदय, आवाज सुनाई नहीं दे रही है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मुझे सुनाई दे रही है।

… (व्यवधान)

श्री पशुपति कुमार पारस: महोदय, तमिलनाडु में स्वीकृत परियोजनाएं 81 हैं, जिनमें मेगा फूड पार्क एक है, कोल्ड चेन 16 हैं, मिनी फूड पार्क 11 हैं, शील्डिंग स्कीम 24 हैं, बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेजेज सृजन स्कीम 9 हैं, ... (व्यवधान) आप्रेशन ग्रीन्स है, ... (व्यवधान) इनकी प्रोजेक्ट कॉस्ट 1323 करोड़ रुपये है और स्वीकृत 348 करोड़ रुपये है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 23

श्री दीपक बैज।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगाया है। किसानों के समर्थन मूल्य पर प्रश्न लगाया है। आप सदन में प्रश्न नहीं पूछना चाहते, तख्तियां लेकर आ रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: दादा, नियमों की किताब लेकर खड़े हैं और नियमों की किताब आपने पढ़ रखी है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: दादा, आप नियम की किताब इनको पढ़वाओ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नियमों की किताब में नियम 349 के तहत सदन के अंदर तख्तियां लेकर आना उचित नहीं है। यह परंपरा ठीक नहीं है। आप सदन में उच्च मर्यादाओं का पालन करें, अच्छी परंपराओं का पालन करें। आपने महत्वपूर्ण प्रश्न किसानों और समर्थन मूल्य के बारे में लगाया है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बाहर जाकर किसानों की बात करते हैं और सदन में किसानों की बात नहीं करते हैं। बाहर जाकर महंगाई की बात करते हैं, सदन के अंदर महंगाई की बात नहीं करते हैं। आपको पिछले सत्र में

मैंने महंगाई पर चर्चा करने के लिए एलाऊ किया था, आपने उस पर चर्चा नहीं की। यह उचित नहीं है। यह गलत तरीका है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सदन में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। मैं हर विषय पर, हर मुद्दे पर आपको चर्चा करने का पर्याप्त समय और अवसर देता हूं।

… (व्यवधान)

———

* प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 23 से 40
अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 460)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही आज दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

पूर्वाह्न 11.13 बजे

तत्पश्चात लोकसभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुन: समवेत हुई।

(डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी *पीठासीन हुए*)

… (व्यवधान)

पूर्वाह्न 02.0½ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर- 2, श्री कृष्ण पाल जी।

… (व्यवधान)

अपराह्न 02.0¾बजे

इस समय, श्री बी. मणिक्कम टैगोर, डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन, श्री पी. आर. नटराजन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):

सभापति महोदय, श्री कृष्ण पाल की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल बाईसाइकिल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल बाईसाइकिल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 7107/17/22]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3क की उप-धारा 2 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 1883(अ) जो 20 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के प्रयोजनार्थ न्यू जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी जिला, पश्चिम बंगाल में स्थित आव्रजन चेक पोस्ट के लिए प्रमुख आव्रजन अधिकारी, आव्रजन ब्यूरो, न्यू जलपाईगुड़ी रेल चेक पोस्ट को 20 अप्रैल, 2022 से ''सिविल प्राधिकारी" के रूप में नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी.7108/17/22]

(2) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उप-धारा (5) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 1884(अ) जो 20 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सभी वर्गों के यात्रियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/से निकास के लिए पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुड़ी जिले में स्थित न्यू जलपाईगुड़ी रेल चेक पोस्ट को प्राधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में अभिहित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी.7109/17/22]

(3) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी ज्ञापन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 7110/17/22)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति महोदय, कुमारी शोभा कारान्दलाजे की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2021 जो 8 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 620(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2022 जो 24 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 39(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 7111/17/22]

(2) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 153 (अ), जो 12 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित पदार्थों को सम्मिलित किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी,देखिए संख्या एल.टी. 7112/17/22]

… (<u>व्यवधान</u>)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी प्रतिमा भौमिक): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) हेलेन केलर्स स्कूल फॉर द डियर, कडप्पा, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हेलेन केलर्स स्कूल फॉर द डियर, कडप्पा, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी.7113/17/22]

(3) (एक) चैतन्य इंस्टीट्यूट फॉर द लर्निंग डिसेबल्ड, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चैतन्य इंस्टीट्यूट फॉर द लर्निंग डिसेबल्ड, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 7114/17/22]

(5) (एक) उत्कल कल्याण सेवा संघ, झारसुगुड़ा, ओडिशा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्कल कल्याण सेवा संघ, झारसुगुड़ा, ओडिशा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी.7115/17/22]

(7) (एक) प्रियदर्शिनी सेवा संगठन, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रियदर्शिनी सेवा संगठन, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी.7116/17/22]

(9) (एक) जीवन ज्योति वेलफेयर एसोसिएशन फॉर द मेंटली एण्ड फिजिकली हैंडीकैप्ड, ढेंकनाल, ओडिशा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जीवन ज्योति वेलफेयर एसोसिएशन फॉर द मेंटली एण्ड फिजिकली हैंडीकैप्ड, ढेंकनाल, ओडिशा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 7117/17/22]

(11) (एक) सोसायटी फॉर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट एण्ड वोलंटरी एक्शन, नयागढ़, ओडिशा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी

तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसायटी फॉर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट एण्ड वोलंटरी एक्शन, नयागढ़, ओडिशा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 7118/17/22]

(13) (एक) स्वयं कृषि, सिकन्दराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्वयं कृषि, सिकन्दराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 7119/17/22]

(15) (एक) इन्स्टिट्यूशन फॉर द ब्लाइंड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्स्टिट्यूशन फॉर द ब्लाइंड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 7120/17/22]

(17) (एक) वेलुगु, मदनपल्ली, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेलुगु, मदनपल्ली, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 7121/17/22]

(19) (एक) एसोसिएशन फॉर सोशल रिकन्सट्रक्टिव एक्टिविटिज, कटक, ओडिशा के वर्ष 2011-2012 और 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एसोसिएशन फॉर सोशल रिकन्सट्रक्टिव एक्टिविटिज, कटक, ओडिशा के वर्ष 2011-2012 और 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 7122/17/22]

(21) (एक) विमला महिला समाजम, एर्नाकुलम, केरल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विमला महिला समाजम, एर्नाकुलम, केरल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 7123/17/22]

(23) (एक) शिशु सखा संघ, खुर्दा, ओडिशा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिशु सखा संघ, खुर्दा, ओडिशा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 7124/17/22]

(25) (एक) नेशनल एबीलिम्पिक एसोसिएशन ऑफ इन्डिया केयर ऑफ अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2011-2012, 2013-2014 और 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एबीलिम्पिक एसोसिएशन ऑफ इन्डिया केयर ऑफ अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2011-2012, 2013-2014 और 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 7125/17/22]

(27) (एक) करीमनगर जिला स्वतंत्रता सेनानी न्यास, करीमनगर, तेलंगाना के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) करीमनगर जिला स्वतंत्रता सेनानी न्यास, करीमनगर, तेलंगाना के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 7126/17/22]

(29) (एक) विक्ट्री इंडिया चैरिटेबल टेंट ऑफ रेस्क्यू याच, कुप्पम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विक्ट्री इंडिया चैरिटेबल टेंट ऑफ रेस्क्यू याच, कुप्पम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 7127/17/22]

(31) (एक) दि ऑल मणिपुर मेंटली हैंडीकैप्ड पर्संस वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन, इम्फाल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दि ऑल मणिपुर मेंटली हैंडीकैप्ड पर्संस वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन, इम्फाल के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने

वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 7128/17/22]

(33) (एक) बेथनी सोसायटी, ईस्ट गारो हिल्स, मेघालय के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेथनी सोसायटी, ईस्ट गारो हिल्स, मेघालय के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 7129/17/22]

(35) (एक) चैरिटेबल सोसायटी फॉर दि वेलफेयर ऑफ दि डिसेबल्ड, एर्नाकुलम, केरल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चैरिटेबल सोसायटी फॉर दि वेलफेयर ऑफ दि डिसेबल्ड, एर्नाकुलम, केरल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 7130/17/22]

(37) (एक) नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइंड, मुम्बई, महाराष्ट्र के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइंड, मुम्बई, महाराष्ट्र के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 7131/17/22]

(39) (एक) श्री रमण महर्षि अकैडमी फॉर द ब्लाइंड, बैंगलोर, कर्नाटक के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री रमण महर्षि अकैडमी फॉर द ब्लाइंड, बैंगलोर, कर्नाटक के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 7132/17/22]

(41) (एक) सरगुजा ज्ञानोदय एसोसिएशन, सूरजपुर, छत्तीसगढ़ के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरगुजा ज्ञानोदय एसोसिएशन, सूरजपुर, छत्तीसगढ़ के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण

दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 7133/17/22]

(43) (एक) हैंडीकैप्ड सर्विस फाउण्डेशन, खम्मान, तेलंगाना के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हैंडीकैप्ड सर्विस फाउण्डेशन, खम्मान, तेलंगाना के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 7134/17/22]

(45) (एक) धुला रीजनल फिजिकली हैंडीकेप्ड डेवलपमेंट एसोसिएशन, दर्रांग, असम के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) धुला रीजनल फिजिकली हैंडीकेप्ड डेवलपमेंट एसोसिएशन, दर्रांग, असम के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी.7135/17/22]

(47) (एक) टाइप राइटिंग इंस्टिट्यूट एंड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थोउबल, मणिपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाइप राइटिंग इंस्टिट्यूट एंड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थोउबल, मणिपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी.7136/17/22]

[अनुवाद]

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरूगन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी.7137/17/22]

(2) तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम 2005 की धारा 26 के अंतर्गत तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2022 जो 22 मार्च 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि..216(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी.7138/17/22]

… (<u>व्यवधान)</u>

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेट्री, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेट्री, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 7139/17/22]

(3) (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी.7140/17/22]

अपराह्न 2.04 बजे

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति
20वां और 21वांप्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सम्मगिरी शंकर उलाका (कोरापुट): महोदय, मैं खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2021-2022) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के "गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ (क्वालिटी कंट्रोल सेल्स - क्यू.सी.सी.)" विषय के बारे में 20वां प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के "भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और वितरण" विषय के बारे में समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के तेरहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी इक्कीसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 2.04 ½बजे

आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति
13वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, मैं 'मेट्रो रेल परियोजनाओं का कार्यान्वयन - एक मूल्यांकन' विषय के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का तेरहवां प्रतिवेदन * (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह्न02.04¾ बजे

शिक्षा, महिला,
बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति
341वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): सभापति महोदय, मैं 'मानद/निजी विश्वविद्यालयों/अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा मानकों, प्रत्यायन प्रक्रिया, शोध, परीक्षा सुधार और शैक्षणिक परिवेश की समीक्षा' के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति का 341वां प्रतिवेदन #(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। ... (व्यवधान)

---

* तेरहवां प्रतिवेदन लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 71 क के अंतर्गत 9 मई 2022 को माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया क्योंकि उक्त प्रतिवेदन 7 अप्रैल 2022 को लोक सभा के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के कारण उस दिन प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य- संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत उक्त प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

यह प्रतिवेदन 4 जुलाई 2022 को राज्यसभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किया गया और उसी दिन लोकसभा अध्यक्ष को अग्रेषित किया गया।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : मद सं 11क -श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

....(व्यवधान)

अपराह्न 02.05 बजे

कार्य मंत्रणा समिति
34वांप्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, श्री प्रहलाद जोशी की ओर से, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 34वां प्रतिवदेन प्रस्तुत करता हूँ।

....(व्यवधान)

अपराह्न 02.05½ बजे

नियम 377 के अधीन मामले[2]*

[हिंदी]

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

(एक) उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में तिलहर रेलवे स्टेशन पर विभिन्न रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने और स्टेशन पर रेल सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री अरूण कुमार सागर (शाहजहाँपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र जनपद शाहजहाँपुर (उ०प्र०) की तहसील तिलहर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा हेतु कुछ निम्नलिखित ट्रेनों का ठहराव होना नितान्त आवश्यक है एवं साथ ही तिलहर रेलवे स्टेशन पर जनहित में निम्नलिखित मूलभूत कार्य कराये जाने भी अति आवश्यक है:

1. ट्रेन संख्या 14207 प्रतापगढ़- पुरानी दिल्ली पदमावत एक्सप्रेस का रेलवे स्टेशन तिलहर पर ठहराव (स्टॉपेज) दिया जाए।
2. ट्रेन संख्या 14208 पुरानी दिल्ली- प्रतापगढ़ पदमावत एक्सप्रेस का रेलवे स्टेशन तिलहर पर ठहराब (स्टॉपेज) दिया जाए।
3. ट्रेन संख्या 14369 सिंगरौली-बरेली त्रिवेणी एक्सप्रेस का रेलवे स्टेशन तिलहर पर ठहराव (स्टॉपेज) दिया जाए।
4. ट्रेन संख्या 14370 बरेली-सिंगरौली त्रिवेणी एक्सप्रेस का रेलवे स्टेशन तिलहर पर ठहराव (स्टॉपेज) दिया जाए।
5. तिलहर रेलवे स्टेशन की डभीरा क्रासिंग पर रेल ओवर ब्रिज का निर्माण होना।
6. तिलहर रेलवे स्टेशन पर कोच गाइडेंस सिस्टम की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
7. रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफार्म पर पीने योग्य पानी हेतु वाटर कूलर लगवाए जाएं तथा यात्री शेड की व्यवस्था की जाए।
8. रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफार्म पर फर्श का पुननिर्माण कराया जाए।

[2] *सभा पटल पर रखे गए माने गए ।

9. रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए यात्रियों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए एक अतिरिक्त फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य।

10. रेलवे स्टेशन का सौन्दर्यीकरण का कार्य, बैठने हेतु सीटों की व्यवस्था, उचित लाइटों की व्यवस्था एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए।

    अतः माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि जनहित में तिलहर रेलवे पर उपरोक्त ट्रेनों के ठहराव एवं मूलभूत सुविधायें प्रदान किए जाने हेतु सकारात्मक कार्यवाही की जाए।

    धन्यवाद सहित।

(दो) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पैकेजिंग हाउस या एक कार्यालय स्थापित किए जाने के बारे में

श्री रवि किशन (गोरखपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र के किसान भाइयों की आय मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। मेरे संसदीय क्षेत्र गोरखपुर सहित पूरे पूर्वांचल के किसान कई दशकों से व्यापक स्तर पर फल सब्जी और फूलों की खेती करते आ रहे हैं परंतु पिछली सरकारों की उदासीनता के कारण यहां के किसानों ने अपनी मूल खेती करना छोड़ दिया था, परंतु केंद्र में परम आदरणीय मोदी जी तथा उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी के आने के बाद किसानों में एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा और सरकार का भरपूर सहयोग मिला जिससे यहां के किसान भाइयों ने एक बार फिर अपनी मूल खेती की ओर लौट आए। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के जिलों में खासतौर से देवरिया, बलिया, गोरखपुर, गाजीपुर, कुशीनगर, महाराजगंज मऊ आदि में सब्जी की खेती बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से की जाती है और यह क्षेत्र सब्जी उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। स्थानीय स्तर पर सब्जी उत्पादकों को कोई पैकेजिंग हाउस या केंद्र द्वारा उनकी ख़रीद के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया गया है जिसके कारण किसान सब्जियों को स्थानीय बाजारों तक ही भेज पाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि केंद्र सरकार द्वारा कोई पैकेजिंग हाउस या निर्यात को बढ़ावा देने हेतु स्थानीय स्तर पर कार्यालय खोलें, जिससे कि इस क्षेत्र के सब्जी और फल उत्पादों का निर्यात विदेशों में हो सकें जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो तथा परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का किसानों की दोगुनी आय करने का सपना पूरा हो सके।

(तीन) राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गांव चोहिलांवाली में स्थित पंजाब नेशनल बैंक में ग्राहकों द्वारा जमा किये गये धन के कथित गबन के बारे में

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जिला हनुमानगढ़ के ग्राम चोहिलांवाली के पीड़ित किसानों और मजदूरों के साथ इसी गाँव में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा के मैनेजर और कर्मचारियों के कथित रूप से करोड़ो रुपयों की राशि के हिसाब किताब में अनियमितताएँ पाई गई है। उक्त बैंक में ग्राम चोहिलांवाली के लगभग 200-250 किसानों व मजदूरों के के.सी.सी. खाते खुले हुए थे, जिनमें से ज्यादातर किसान, गरीब, मजदूर, अनपढ़ या कम पढ़े-लिखे है। इसी बात का फायदा उठाकर कथित रूप से बैंक के मेनेजर और कुछ कर्मचारियों ने विड्रोल व चेक पर नकली साइन करके नगद पैसा निकाला गया। बहुत से किसानों को के.सी.सी. लिमिट के ब्याज भरने के बहाने बैंक बुलाया गया और सर्वर डाउन का बहाना बनाकर नगद रूपये ले लिए गए। इसके बाद उन गरीब लोगों को कथित रूप से नकली रसीद दे दी गई। इस प्रकार इन कर्मचारियों के द्वारा लगभग 10-12 करोड़ रूपए का गबन किया गया है। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के इन पीड़ित किसानों की विषम मानसिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इस विषय में उचित व निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध उचित दंडात्मक कार्यवाही करें और पीड़ितों के गबन की राशि वापिस दिलवाई जाए।

(चार) **उत्तर प्रदेश के फर्रूखाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मल-जल शोधन संयंत्रों का निर्माण किए जाने के बारे में**

श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद): हमारे संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद में पतित पावनी गंगा नदी लगभग 100 किमी के क्षेत्र में बहती है जिसके तट पर तीन नगरपंचायत- कम्पिल, नबावगंज और शमशाबाद एवं दो नगर पालिकाएं कायमगंज और फर्रुखाबाद स्थित है। इसके अतिरिक्त सामरिक महत्त्व की छावनी फतेहगढ़ परिषद भी स्थित है। परन्तु बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि इन सभी नगरों का गन्दा पानी पवित्र गंगा जी में सीधे प्रवाहित हो रहा है। 2016 में फर्रुखाबाद शहर गंगा तट पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) नमामि गंगे परियोजना से स्वीकृत हुए थे परंतु आज तक उन पर काम प्रारंभ नहीं हो पाया है। अतः माननीय जल शक्ति मंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि गंगा को स्वच्छ व निर्मल बनाये रखने के लिए कम्पिल, शमशाबाद, फर्रुखाबाद, कायमगंज तथा कमालगंज नगरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) की स्थापना अविलम्ब करानें का कष्ट करें।

(पांच) **दिल्ली में सरकारी विद्यालयों की स्थिति के बारे में**

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र और दिल्ली के तमाम उन सरकारी विद्यालयों की घोर अव्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं जहां जर्जर भवनों में क्षमता से अधिक बच्चे बैठाए जा रहे हैं। ऐसे कई विद्यालयों में मैं स्वयं गया जहां व्यवस्था के नाम पर घोर अव्यवस्था पाई गई, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के नाम पर विद्यालयों की व्यवस्था कारागार जैसी है जहां कहीं खुले आसमान के नीचे तो कहीं टीम सेट में अनियमित रूप से बच्चों की भारी भीड़ को बैठाया जाता है और हर दिन हर पल बच्चे अपनी जान जोखिम में डाल कर अपने बेहतर भविष्य और शिक्षा की आस में पढ़ने को मजबूर है। कभी भी कोई बड़ी अप्रिय घटना बच्चों की जान को खतरे में डाल सकती है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा ऐसे कई विद्यालयों को नोटिस देकर रिपोर्ट भी तलब की गई है और कार्यवाई करने का आदेश भी दिया गया है लेकिन उचित कार्रवाई दिल्ली सरकार के द्वारा नहीं की गई है। अतः मैं नियम 377 के अधीन माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष कमेटी बनाकर दिल्ली के बदहाल स्कूलों की व्यवस्था की जांच कराई जाए और दोषी लोगों की जिम्मेदारी तय की जाए। साथ ही माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि केंद्रीय सहायता से दिल्ली में नए विद्यालय बनाए जायें जिससे बच्चों को अच्छी और सुरक्षित शिक्षा मिल सके।

(छह) **प्रस्तावित जूनागढ़-नबरंगपुर रेल लाइन का विस्तार ओडिशा के धरमगढ़ तक किए जाने की आवश्यकता**

श्री बसंत कुमार पांडा (कालाहाण्डी): मेरा संसदीय लोकसभा क्षेत्र कालाहांडी है, जिसमें दो जिले नवापाड़ा और कालाहांडी आते है और दोनों ही जिले माननीय मोदी जी की परिकल्पना के अनुसार आकांक्षी जिले हैं। मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि वर्षों से लंबित प्रस्तावित रेलवे लाइन 'जूनागढ़ से नबरंगपुर' जिसकी फाइनल लोकेशन के लिए 2.9 करोड़ रू. मंजूर किया गया है। यदि प्रस्तावित रेलवे लाइन 'जूनागढ़ से नबरंगपुर' को 10 किमी. धरमगढ़ तक विस्तार किया जाएगा, तो एक सबडिविजन मुख्यालय धरमगढ़ स्थायी रूप से रेलवे लाइन जुड़ जाएगा। जिससे क्षेत्रवासियों को आवागमन में बड़ी सुविधा होगी। क्योंकि जूनागढ़ से धरमगढ़ की दूरी सिर्फ 18 किमी. है। धरमगढ़ एक सब- डिविजनल हेड कार्टर है। दोनों जिले के लोग धरमगढ़ पर निर्भर करते है। लेकिन साधन की असुविधा होने के कारण जिलावासियों को धरमगढ़ के लिए यात्रा करने में बड़ी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिलावासियों में बड़ी नाराजगी है जिसके लिए उन्होंने कई बार धरना प्रदर्शन भी किया। इसलिए मेरा माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि प्रस्तावित रेलवे लाइन 'जूनागढ़ से नबरंगपुर'को 10 किमी. धरमगढ़ तक विस्तार किया जाए जिससे सबडिविजन मुख्यालय धरमगढ़ स्थायी रूप से रेलवे लाइन से जुड़ जाए तथा वहां के लोगों को आवागमन में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े।

(सात) **महाराष्ट्र के भंडारा-गोंदिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं स्थापित किए जाने की आवश्यकता**

श्री सुनील बाबूराव मेंढे (भन्डारा-गोंदिया): मेरे लोकसभा क्षेत्र भंडारा-गोंदिया के कुछ क्षेत्रों में एक भी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा नहीं है। ग्रामीणों, व्यापारियों तथा छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बैंकों के डिजिटल कार्य प्रणाली के कारण कुछ मौजूदा शाखाओं में भारी मात्रा में भीड़ होती है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि भंडारा क्षेत्र के कोंढा, तह़-पवनी, पिंपलगांव तह़-लाखनी, करडी तह़-मोहाडी में तथा गोंदिया क्षेत्र के दासगाव, आसोली, दवनीवाडा तह़- गोंदिया, वडेगाव तह़-तिरोडा सौंदड तह़-सड़क अर्जुनी और माहगाव तह़-अर्जुनी मोर क्षेत्रों में लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखाओ को खोलने के सम्बन्ध में सम्बंधित विभाग को जरूरी दिशा- निर्देश देने की कृपा करें।

धन्यवाद।

(आठ) **दिल्ली-नागपुर औद्योगिक गलियारा मार्ग के बारे में**

डॉ. ढालसिंह बिसेन (बालाघाट): भारत सरकार द्वारा दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरीडोर बनाया जाना है इस कॉरिडोर का 70 प्रतिशत हिस्सा मध्यप्रदेश से होकर गुजरेगा। यह कॉरीडोर दिल्ली से सागर नरसिंहपुर सिवनी होकर नागपुर बनाया जाना प्रस्तावित है। किंतु जानकारी है कि मध्यप्रदेश सरकार ने इसमें परिवर्तन कर नागपुर से बैतूल भोपाल सागर के रास्ते दिल्ली तक बनाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है। उल्लेखनीय है कि पहले से प्रस्तावित रूट को दिल्ली से सागर तक यथावत् रख आगे विदिशा, भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल तथा नागपुर तक रूट में परिवर्तन का प्रस्ताव है। जबकि इसको परिवर्तित करने का कोई औचित्य नहीं है। पूर्व प्रस्तावित रूट जो कि एन.एच. 44 है, जो पूर्व से ही 4 लेन मार्ग है और यह मार्ग सागर से नरसिंहपुर, लखनादौन, सिवनी तथा नागपुर से कन्याकुमारी तक जाता है। यदि यह कारीडोर सागर से नरसिंहपुर, सिवनी होकर जाता तो इससे नरसिंहपुर, सिवनी जिले में भी उद्योगों की स्थापना होती और सिवनी की जनता को सिवनी में ही रोजगार मिलता जिससे कि इन पिछड़े जिलों का विकास होगा। इन्डस्ट्रीयल कॉरीडोर के इस रूट के बनने से नजदीकी जिले जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा तथा मण्डला को लाभ होगा इसलिए आपसे आग्रह है कि दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरीडोर के निर्माण के प्रस्ताव को परिवर्तित न कर इसे पूर्वानुसार बनाया जाए।

(नौ) मध्य प्रदेश के रतलाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में गाँवों का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर (रतलाम): मेरा लोकसभा क्षेत्र रतलाम (मध्य प्रदेश) के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में ग्रिड सेपरेसन नहीं होने तथा अधिकांश मजरे/पारे/फलियों में विद्युतिकरण नहीं होने के कारण ग्रामवासियों को विद्युत उपलब्धता की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या रबी की फसल के समय और ज्यादा गंभीर हो जाती है। पानी की उपलब्धता होने के बावजूद रबी की फसल मात्र इसलिए नहीं ली जा पाती है, क्योंकि विद्युत की उपलब्धता नहीं है। मेरे लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीणों की यह सबसे बड़ी समस्या है। अनुरोध है कि इस समस्या के निराकरण हेत उचित निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।

(दस) **हडपसर रेलवे स्टेशन के विकास के बारे में**

[अनुवाद]

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट (पुणे): पिछले कुछ वर्षों में यात्रियों की संख्या बढ़ी है और रेलगाड़ियों के परिचालनों में भी बढ़ोतरी हुई है, इसलिए पुणे रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ियों का परिचालन संभव नहीं हो पा रहा है।पुणे जंक्शन से लगभग 150 लंबी दूरी की रेलगाड़ियां चलती हैं। इनमें से कुछ हडपसर से यात्रा शुरू कर सकती हैं और यहीं पर यात्रा समाप्त कर सकती हैं जिससे पुणे जंक्शन पर भार कम हो सकेगा।

हडपसर रेलवे स्टेशन पर चार प्लेटफॉर्म और यात्रियों के लिए एक फुट ओवरब्रिज है। मध्य रेलवे पुणे रेलवे स्टेशन पर भीड़-भाड़ कम करने के लिए कुछ रेलगाड़ियों के परिचालन को हडपसर में स्थानांतरित कर रहा है। वर्तमान में, हडपसर से हैदराबाद दैनिक स्पेशल रेलगाड़ी हडपसर रेलवे स्टेशन से चलती है।

वर्तमान में, हडपसर रेलवे स्टेशन पर समाप्त होने वाली ट्रेनों के यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए परिवहन नहीं मिल पाता है क्योंकि हडपसर रेलवे स्टेशन पर परिवहन सुविधाओं की कमी है । पार्किंग के लिए स्थान, स्टेशन तक पहुंचने के लिए सड़कें, स्टेशन भवन, आरक्षण केंद्र, प्रतीक्षालय और यात्री लाउंज संबंधी सुविधाओ को तत्काल बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

भूमि अर्जन के लिए लगभग ₹ 400 करोड़ और वास्तविक रूप से विकास किए जाने के लिए ₹ 350 करोड़ की आवश्यकता है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि हडपसर रेलवे स्टेशन को टर्मिनस के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं ताकि पुणे जंक्शन स्टेशन पर भीड़-भाड़ को कम किया जा सके।

(ग्यारह) **यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों की स्थिति के बारे में**

डॉ. शशि थरूर (तिरूवनन्तपुरम) : मैं माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान भारतीय मेडिकल छात्रों की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिनमें से कई मेरे गृह राज्य केरल से हैं तथा जिनकी शिक्षा यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण बाधित हुई है। मार्च 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण ने 18,000 से अधिक भारतीय छात्रों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, जो मुख्य रूप से चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे थे। हमारे देश और अन्य जगहों पर निजी कालेजों में चिकित्सा शिक्षा की उच्च लागत के कारण सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले इनमें से अधिकांश छात्रों के लिए अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू करना मुश्किल हो गया है। इसलिए, उन वैकल्पिक साधनों को तलाशा जाना आवश्यक हो गया है जिनके माध्यम से ये छात्र अपनी चिकित्सा शिक्षा पूरी कर सकते हैं, या तो यूक्रेन के पड़ोसी यूरोपीय देशों में या भारत में किसी व्यवस्था के माध्यम से (जैसे कि मिस्र में जहां छात्र उस देश में मेडिकल कॉलेजों में शामिल होने के लिए मूल्यांकन परीक्षा दे सकते हैं)। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने भी यूक्रेन में पढ़ने वाले अपने राज्य के लगभग 422 छात्रों को अपने निजी और सरकारी कॉलेजों में दाख़िला दिया है। इसलिए, मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि वे जल्द से जल्द हमारे छात्रों की परेशानियों को दूर करने के लिए और उनके भविष्य और हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए सकारात्मक उपाय करें और उन्हें लागू करें।

(बारह) **एल.जी.बी.टी.क्यू.आई.ए. समुदाय के सदस्यों के प्रति कथित भेदभाव के बारे में**

डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन (चेन्नई दक्षिण): पूरे विश्व में, एल.जी.बी.टी.क्यू.आई.ए. प्लस समुदाय के सदस्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के संबंध में बड़े पैमाने पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। भारत में, हाल ही में एक स्कूली छात्र की लैंगिक पहचान के सवाल पर परेशान किए जाने के कारण उस बच्चे को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा था। ऐसे मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है और इन मामलों को संस्थागत हत्या के मामलों के रूप में देखे जाने की जरूरत है।

इस कड़वी सच्चाई को देखते हुए केंद्र सरकार को इस तरह के हिंसक भेदभाव के खिलाफ कानून बनाना चाहिए। इसके विपरीत, 3 महत्वपूर्ण कानून संसद में पारित किए गए हैं जो एल.जी.बी.टी.क्यू.आई.ए. प्लस व्यक्तियों के अधिकारों को कम करते हैं। मैं सरकार से इन तीन कानूनों में एल.जी.बी.टी.क्यू.आ.ई.ए. प्लस विरोधी धाराओं को वापस लेने का आग्रह करती हूँ, जिसमें सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021, सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 और गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 शामिल हैं।

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 वर्तमान में सरोगेसी के लिए केवल विषम-लिंगी जोड़ों की अनुमति देता है। मैं सरकार से इस खंड में संशोधन करने और इसमें एल.जी.बी.टी.क्यू.आइ.ए. प्लस व्यक्तियों या ऐसे जोड़ों को इस अधिनियम के तहत संतान उत्पत्ति का अधिकार देने का आग्रह करती हूँ। इसके अलावा, मैं सरकार से एल.जी.बी.टी.क्यू.आई.ए. प्लस जोड़ों को सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत ए.आर.टी. उपचार का लाभ उठाने के लिए पात्र बनाने का अनुरोध करती हूं। ये दोनों कानून वर्तमान में एल.जी.बी.टी.क्यू.आई.ए. प्लस जोड़ों को भारत में माता-पिता बनने पर रोक लगाते हैं। इसके साथ ही, केंद्र सरकार को ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स व्यक्तियों को शामिल करने के लिए "महिला" की परिभाषा का तुरंत विस्तार करना चाहिए, जिन्हें गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन)

अधिनियम, 2021 के तहत गर्भपात कराने की आवश्यकता हो सकती है। उपर्युक्त विशिष्ट मांगों के अलावा, मैं केंद्र सरकार से नौकरियों के संबंध में एल.जी.बी.टी.क्यू.आई.ए. प्लस व्यक्तियों की समस्याओं का निवारण, आवास के संबंध में भेदभाव को दूर करने, बुजुर्ग एल.जी.बी.टी.क्यू.आई.ए. प्लस व्यक्तियों की देखभाल और सार्वजनिक स्थानों में प्रतिनिधित्व प्रदान करने और उनका समावेशन किए जाने का भी आग्रह करती हूँ।

(बारह) ट्रेन सेवाओं और किराए में छूट को वापस लिए जाने के बारे में

श्री डी. एम. कथीर आनन्द (वेल्लोर): अपनी यात्रा के लिए रेलवे पर निर्भर देश के लोगों विशेषकर गरीबों और वंचितों के लिए रेलवे परिवहन का प्रमुख साधन है। मार्च 2020 से कोविड 19 लॉकडाउन के बाद से रेलवे ने ट्रेन सेवाओं को बंद कर दिया था और वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किराया रियायत को रद्द कर दिया था। भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग व्यक्तियों, खेलों से जुड़ी पदक विजेता हस्तियों, कैंसर रोगियों, पत्रकारों जैसे 53 श्रेणी के लोगों के लिए टिकट किराए में रियायत प्रदान करता है। 58 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं और 60 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को क्रमशः 50% और 40% रियायत दी जाती थी। स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान के रूप में 100% रियायत दी जाती है। महोदय, सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाए जाने के एक साल बाद भी अभी तक ट्रेन सेवाओं की पूर्ण बहाली नहीं हुई है। इस परेशानी को बढ़ाते हुए सरकार 70% ट्रेनों को विशेष ट्रेनों के रूप में अधिक किराए के साथ चला रही है। गरीब यात्रियों को कम दूरी की यात्रा के लिए भी अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ रही है। इसके बावजूद भी सरकार ने किराया रियायत को बहाल नहीं किया है। इससे बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों पर अत्यधिक वित्तीय बोझ पड़ा है। लोगों की कठिनाइयों को बढ़ाने वाले कदम के रूप में, रेलवे रेलगाड़ी सेवाओं से संबंधित कार्य को निजी कंपनियों को देने चाहता है जिससे किराया टिकटों के मूल्यों में कई गुना वृद्धि होगी। यह आम जनता की परेशानियों और बढ़ाने वाला कार्य है।

(चौदह) राज्यों की जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति का विस्तार किए जाने के बारे में

प्रो. सौगत राय (दम दम): अनेक राज्य केंद्र सरकार से जी.एस.टी. व्यवस्था के पहले पाँच वर्षों के दौरान उन्हें दी गई जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति को वर्ष 2027 तक जारी रखने का आग्रह कर रहे हैं क्योंकि महामारी के कारण उनकी राजस्व प्राप्ति बुरी तरह प्रभावित हुई है। विभिन्न राज्य सरकारें ऋणग्रस्त हैं और नई कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ विकास कार्यों के लिए राजस्व जुटाने में वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के कार्यान्वयन के कारण राज्यों को हुई राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति के मामले पर जी.एस.टी. परिषद द्वारा विचार किया जाना था, जो अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है, जबकि, चंडीगढ़ में हुई पिछली बैठक में उसने कोई निर्णय नहीं लिया है। अगस्त 2022 के पहले सप्ताह में होने वाली अगली जी.एस.टी. परिषद की बैठक में इस संबंध में अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है। जब 1 जुलाई 2017 से राष्ट्रव्यापी जी.एस.टी. में 17 केंद्रीय और राज्य शुल्क शामिल कर लिए गए, तो यह निर्णय लिया गया था कि राज्यों को नई कर व्यवस्था से होने वाले राजस्व के किसी भी नुकसान की प्रतिपूर्ति पाँच वर्षों तक की जाएगी। वह समय-सीमा 30 जून 2022 को समाप्त हो गई है। वैश्विक महामारी के कारण दो वर्ष नुकसान होने के कारण, राज्यों ने इस प्रतिपूर्ति किए जाने की अवधि को पाँच और वर्षों तक बढ़ाए जाने की मांग की है। मैं केंद्र सरकार से जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति किए जाने को जून 2027 तक बढ़ाए जाने का अनुरोध करता हूँ।

(पंद्रह) महाराष्ट्र में शहरी स्थानीय निकायों हेतु कार्यनिष्पादन अनुदान जारी किए जाने के बारे में

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पास 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) के लिए कार्यनिष्पादन अनुदानों को जारी किए जाने के संबंध में महाराष्ट्र सरकार का प्रस्ताव लंबित है। राज्य सरकार ने सभी उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा किए थे और केंद्र सरकार से 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2018-19 और वर्ष 2019-20 के लिए कार्यनिष्पादन अनुदानों को जारी किए जाने का अनुरोध किया था। भारत सरकार के शहरी कार्य मंत्रालय ने पहले ही महाराष्ट्र के शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) के लिए वर्ष 2018-19 (625.63 करोड़ रुपये) और वर्ष 2019-20 (819.21 करोड़ रुपये) के लिए कार्यनिष्पादन अनुदानों को जारी किए जाने की सिफारिश की है। तथापि, यह मुद्दा अभी भी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पास लंबित है। इसलिए, मैं भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री जी से गंभीरतापूर्वक यह अनुरोध करता हूँ कि महाराष्ट्र में शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) के लिए वर्ष 2018-19 हेतु 625.63 करोड़ रुपये और वर्ष 2019-20 हेतु 819.21 करोड़ रुपये के कार्यनिष्पादन अनुदानों को राज्य सरकार को जल्द से जल्द जारी करने की कृपा करें।

(सोलह) बिहार के कटिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण प्रबंधन संस्थान की स्थापना किए जाने के बारे में

[हिन्दी]

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी (कटिहार): बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि, डेयरी एंव मत्स्य पालन के क्षेत्र में अपार संभवानाओं के साथ-साथ जहॉ एक ओर पूर्वी एंव उत्तरी बिहार जूट, मखाना और मक्का के लिए प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी ओर डेयरी और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण एंव सहकारिता को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमारी एनडीए की सरकार सहकारिता पर जरूरत से ज्यादा ध्यान दे रही है और सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित डा० वर्गीज कुरिजन साहब द्वारा स्थापित इन्स्टीटयूट ऑफ रुरल मैनेजमेंट, आनन्द (इरमा) गुजरात कोपरेटिव मिल्क फेडरेशन एंव अमूल डेयरी जैसी महान संस्थाएं देश के लिए बहुत बड़ी देन है जिसके कारण करोड़ो लोगों को इसका फायदा मिला है। मैं माननीय गृह एंव सहकारिता मंत्री जी से मांग करता हूॅ कि इरमा (आईआरएमए) गुजरात की तर्ज पर एक इन्स्टीटयूट ऑफ रुरल मैनेजमेंट की स्थापना हमारे संसदीय क्षेत्र कटिहार, बिहार में की जाए। इरमा की स्थापना होने से बिहार राज्य के सीमांचल में कटिहार के उत्तरी और पूर्वी बिहार के किसानों में विकास एंव उन्नति की नयी संभावना पैदा होगी, जो जूट, मखाना और मक्का के उत्पादन के लिए मशहूर इस इलाके के करोड़ों किसानों, डेयरी एंव मत्स्य पालकों के जीवन में चहुँमुखी विकास करेगी।

(सत्रह) प्रधान मंत्री मित्र योजना के अंतर्गत राज्यों के चयन के बारे में

[अनुवाद]

श्री चंद्र शेखर साहू (बरहामपुर): प्रधानमंत्री-मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क (पीएम-मित्र) योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर वस्त्र उत्पादन के लिए अवसंरचना हेतु सहायता प्रदान करने के माध्यम से भारत को वैश्विक स्तर पर वस्त्र उत्पादकों के बीच मजबूती से स्थापित करना है। पीएम मित्र योजना के अंतर्गत स्थापित वस्त्र पार्कों को राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मंजूरी दी जाती है और पीएम मित्र पार्क का चयन दो चरणों की चयन प्रक्रिया के माध्यम से भाग लेने वाले राज्यों से चैलेंज मेथेड के द्वारा किया जाता है। ओडिशा ने देश भर में 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना किए जाने के लिए राज्यों का चयन करने हेतु आयोजित चैलेंज मेथेड में भाग लिया है। ओडिशा सरकार ने दिनांक 11.03.2022 को उद्योग विभाग के पत्र सं 2288 के माध्यम से भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अपर सचिव को प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तथापि, इस योजना के अंतर्गत अभी तक राज्यों के चयन के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है। मैं माननीय केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि पीएम मित्र योजना के अंतर्गत चयनित राज्यों के नामों को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए।

(अठारह) जातिगत जनगणना के बारे में

श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर): स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, महापंजीयक और जनगणना आयुक्त अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों से संबंधित आंकड़े एकत्र कर रहे हैं। काका कालेलकर आयोग, या पहले पिछड़े वर्ग आयोग, और मंडल आयोग या दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन का आकलन करने के लिए वर्ष 1931 में हुई जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किया था। साक्ष्य-आधारित सार्वजनिक नीतियों के लिए विभिन्न जातियों का सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक डेटा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए, हमें आरक्षण और अन्य सामाज कल्याण से संबंधित नीतियों के बारे में निर्णय लेने के लिए विभिन्न जातियों के संबंध में सामयिक और विश्वसनीय डेटा की आवश्यकता है। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, जातिगत जनगणना कराना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं यह अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त महत्वपूर्ण मुद्दे पर जल्द से जल्द विचार किया जाये।

(उन्नीस) फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में सुधार के बारे में

श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी (महबूबनगर): मैं सरकार का ध्यान फसल बीमा योजना जैसे प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में बड़े पैमाने पर सुधार किए जाने की आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। अधिकांश किसान फसल बीमा योजना लेने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि प्रीमियम का भुगतान किए जाने के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है जो कि एक विचित्र स्थिति है। देश के कुल किसानों का 15% हिस्सा भी पी.एम.एफ.बी.वाई. में शामिल नहीं है। हर वर्ष जुलाई के पहले सप्ताह में मनाए जाने वाले फसल बीमा सप्ताह से भी किसानों को कोई मदद नहीं मिल पा रही है। किसानों के बीच और अधिक जागरूकता सृजित करने के लिए फसल बीमा कंपनियों द्वारा मंडल स्तर पर अपने कार्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने फसल बीमा के लिए पंजीकरण कराने की अंतिम तारीखों के रूप खरीफ की फसल के लिए 31 जुलाई और रबी की फसल के लिए 31दिसंबर को तय किया है जो कि एक प्रमुख खामी है। हमारा राज्य 30% के अपने हिस्से का भुगतान करने के लिए तैयार है लेकिन इससे केंद्र सरकार सहमत नहीं है। उक्त योजना विज्ञान सम्मत नहीं है और यह बात हमारी समझ में नहीं आती कि बीमा योजना में क्षेत्र को इकाई मानने से किसान को किस प्रकार मदद मिलेगी। केंद्र सरकार को किसान और कृषि-केंद्रित योजनाओं को लागू करना चाहिए जिनकी सिफारिश एम.एस. स्वामीनाथन जैसे विशेषज्ञों ने की है।

(बीस) अग्निपथ योजना के बारे में

एडवोकेट ए.एम. आरिफ (अलप्पुझा): पिछले तीन वर्षों से सशस्त्र बलों में भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे युवा अग्निपथ योजना के अंतर्गत अपनाई गई भर्ती नीति से नाराज है। अग्निपथ योजना का उद्देश्य केवल चार वर्षों के लिए सैनिकों की भर्ती करना है, जिसमें पेंशन और चिकित्सा बीमा जैसे सेवानिवृत्ति लाभ शामिल नहीं हैं। चार वर्ष बाद जब भर्ती किए गए युवाओं को सेवा से हटा दिया जाएगा, तो उन्हें भूतपूर्व सैनिकों की तरह कोई पेंशन या चिकित्सा लाभ नहीं मिलेगा। युवा यह पूछ रहे हैं कि चार साल बाद उनके करियर का क्या होगा जबकि भारत में इतनी बेरोजगारी व्याप्त है। यदि लाइसेंसी हथियारों को रखने वाले और बिना किसी आजीविका के साधन वाले युवाओं की बड़ी संख्या को उनके गांवों में वापस भेजा जाता है, तो इससे सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे युवाओं का केवल कुछ प्रतिशत भी यदि आपराधिक कार्यों में संलिप्त होता है, तो इससे कानून और व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यदि अत्याधुनिक हथियार चलाने में प्रशिक्षित युवा कुछ आतंकवादी समूहों या गुप्त एजेंडे वाले कट्टरपंथी संगठनों के हाथों में पड़ गए तो क्या होगा? अतः, मैं केंद्र सरकार से यह आग्रह करता हूँ कि वह अग्निपथ योजना को वापस ले और भारतीय सेना में नियमित आधार पर सैनिकों की भर्ती करें।

(इक्कीस) **विदेश से पढ़कर आए मेडिकल छात्रों का राज्य चिकित्सा परिषद में पंजीकरण किए जाने के बारे में**

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने विदेश से चिकित्सा की पढ़ाई करके आने वाले स्नातकों द्वारा भारत में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी उनका राज्य आयुर्विज्ञान परिषद में पंजीकरण किए जाने पर रोक लगा दी है। पंजीकरण को इस आधार पर रोक दिया गया था कि उन्होंने पिछले सेमेस्टर की कक्षाओं में ऑनलाइन भाग लिया था। उन्होंने केवल कोविड-19 प्रोटोकॉल और प्रतिबंधों के कारण ही ऑनलाइन कक्षा में भाग लिया था। कोविड-19 के कारण अन्य कोई विकल्प नहीं था। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने कोविड-19 की स्थिति पर विचार नहीं किया और पंजीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया। उच्चतम न्यायालय ने मामले पर विचार किया और आयुर्विज्ञान आयोग के मौजूदा नियमों के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विदेश से चिकित्सा की पढ़ाई करके आए स्नातकों के हितों की रक्षा करने के लिए योजना तैयार करने का निदेश दिया। योजना को तैयार करने में अत्यधिक देरी हो रही है। छात्रों का भविष्य अंधकार में है। अतः, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि आयुर्विज्ञान परिषद में तत्काल पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए यथाशीघ्र योजना तैयार करें।

———

[हिन्दी]

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, यह सदन चर्चा के लिए है। आप सभी को गरिमापूर्ण चर्चा करनी है ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : कई सदस्य अपने विषय शून्य काल और नियम 377 में उठाते हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपने स्थानों पर बैठ जाइए। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही, बुधवार, दिनांक 20 जुलाई, 2022 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 2.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 20 जुलाई, 2022 /
29 आषाढ़,1944 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए
स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2022 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित